राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)

E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ–9(307)/रालसा/स्टोर/2025–26/6783 दिनांकः 29.07.2025

कोटेशन के लिए अनुरोध–05/2025–26

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर में श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय के नवीन चैम्बर हेतु पदनाम के विवरण से संबंधित एक नवीन वुडन बोर्ड मय मेटल नेमप्लेट तैयार कर स्थापित किया जाना है। अतः इस क्षेत्र में कार्यरत फर्मों/डीलर्स/विक्रेताओं/संवेदकों से निम्नानुसार कोटेशन बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैः–

क्र.सं.	सामग्री/कार्य का विवरण	विशेष विवरण	अनुमानित व्यय
1	प्लाई सनमाइका सहित ब्राउन कलर (वूडन बोर्ड साईज 5X4) 12MM कम/अधिक	उक्त सामग्री/कार्य निर्देशानुसार व अनुमोदित नमूनानुसार किया जाना है।	50000/–
2	स्टील प्लेट पर कॉफी कलर के अक्षर पेस्टिंग		
3	लोगो (विभाग)		
4	साईड फीटींग्स व इंस्टालेशन		

कोटेशन दिनांक 02.08.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 03:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

कोटेशन की शर्तेंः–

01. कोटेशनदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
02. कोटेशन बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
03. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नही होंगी।
04. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को बिना कारण बताये कोटेशन किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
05. कोटेशन की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट–छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दो एवं अंको में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
06. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स/जीएसटी देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
07. कोटेशन दाता/फर्म कार्यालय में उपस्थित होकर सारणी के अनुसार कार्य/समाग्री के संबंध में जानकारी/निरीक्षण कर सकती है।
08. कोटेशन में अंकित आईटम्स के सैम्पल Approved करवाना होगा।
09. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।

\\10.130.33.33\store\Name Plate\Quatation forName plate.docx

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)

E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.rajasthan.gov.in

10. आपूर्तिकर्त्ता को उक्त सामग्री निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर में कार्यादेश जारी होने के 5 कार्य दिवस में सप्लाई कर कार्यालय में संस्थापित करनी होगी।
11. सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं Specification के अनुसार ही होनी चाहिए।
12. कोटेशनदाता को सामग्री संस्थान में ही उपलब्ध करवाकर स्थापित करना होगा, जिसका विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज देय नहीं होगा।
13. अन्य किसी भी प्रकार का लोडिंग/अनलोड़िंग/इंस्टालेशन चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
14. सफल कोटेशनदाता, स्थापना के दौरान, सरकारी परिसर/संपत्ति कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, अन्यथा वह उसे मूल स्थिति में पुनर्स्थापित अपनी लागत पर करेगा।
15. सप्लाई/इंस्टालेशन संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
16. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
17. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।

29/07/2025

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः एफ–9(307)/रालसा/स्टोर/2025–26/6784-87 दिनांकः 29.07.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
2. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. फर्म मैसर्स ....
4. संबंधित पत्रावली।

उप सचिव–प्रथम
(स्टोर प्रभारी)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।